

समाज कल्याण विभाग से संबंधित योजनाओं के संबंध में सूचनायें।

दिनांक 17-11-2008

(रु० करोड़ में)

क० सं०	विषय	बजट प्राविधान	व्यय	प्रतिशत	भौतिक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	वृद्धावस्था पेंशन (2/3 :1/3)	1451.15	900.15	62.03	3819908	—
2	पारिवारिक लाभ योजना (50:50)	78.00	93.71	120.14	47713	टी०आर०-27 से बजट प्राविधान से अधिक धन दिया गया । अतिरिक्त धनराशि की मांग वित्त विभाग से पुनर्विनियोग के माध्यम से की जायेगी।
3	स्वतः रोजगार योजना (100 प्रतिशत भा०स०) विशेष केंद्रीय सहायता केवल अनुदान हेतु—	176.81	41.67	23.51	32694	रु० 89.53 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त । भारत सरकार द्वारा रु० 93.48 करोड़ एलोकेशन किया गया है।
4	मार्जिन मनी (49:51) केन्द्र पुरोनिधानित)	31.81	3.59	11.29	—	रु० 30.50 करोड़ भा०स० से प्राप्त होना है।
5	अत्याचार उत्पीड़न(50:50)	19.01	8.16	43.00	—	भारत सरकार से अंश रु० 9.50 करोड़ के सापेक्ष रु० 7.64 करोड़ प्राप्त। इस मद में आवश्यकतानुसार व्यय किया जाता है।
6	शादी बीमारी (100 प्रतिशत रा०स०)	95.00	55.00	57.90	48555	वित्त विभाग ने 50 प्रतिशत अवमुक्त करने की ही स्वीकृति दी है। औसत लागत रु० 7.20 करोड़ प्रति विद्यालय। गत वर्ष स्वीकृत विद्यालयों के गैप की धनराशि रु० 10.00 करोड़ प्रतिपूर्ति करनी है।